

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

4.1 प्रस्तावना

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का प्राथमिक उद्देश्य व्यापक स्तर पर उत्तरदायी तथा दीर्घकालिक व्यापार दर्शन को बढ़ावा देना तथा देश के सामाजिक व पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कंपनियों को नवीन विचारों और मजबूत प्रबंधन प्रणालियों को आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। मोटे तौर पर, सीएसआर अधिदेश राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन इत्यादि से जुड़े हैं। सीएसआर जागरूकता तथा सीएसआर चेतना बड़ी व मध्यम आकार की कंपनियों के बीच विकसित हुई है, जो सीएसआर को उनके काम से संबंधित समुदाय तथा वातावरण के साथ नीतिगत तौर पर उपयुक्त बनाने हेतु देखते हैं।



सीएसआर की अवधारणा कंपनियों को अपने प्रबंधकीय कौशल, तकनीक तथा नवीनता के माध्यम से देश की विकास चुनौतियों में अंशदान करने में सहयोग करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करती है। कॉर्पोरेट्स को अपने सीएसआर पहलों को पूरा करने के लिए एक समग्र मार्गदर्शन ढांचा प्रदान करने के अलावा, यह उन्हें कार्यक्रमों

को डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त स्वायत्तता तथा लचीलापन प्रदान करती है। जाँच, कंपनी द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निर्धारित प्रारूप के अनुसार किए गए खुलासों पर आधारित होती है।

कानूनी ढाँचा: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (इसके पश्चात अधिनियम के रूप में संदर्भित), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय से संबंधित है तथा कंपनियों के लिए वित्तीय वर्ष के तुरंत पहले निवल धन, कुल बिक्री और निवल लाभ के आधार पर योग्यता मानदंड निर्धारित करता है जो सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए आवश्यक

है। यह खंड अन्य बातों के साथ कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा सीएसआर गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन तथा जाँच के व्यापक तौर-तरीको को निर्दिष्ट करता है। कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर पॉलिसी में शामिल की जा सकने वाली गतिविधियां अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध है। यह अधिनियम एक कंपनी के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत वार्षिक खर्च करने को अनिवार्य बनाता है।

अधिनियम के तहत सीएसआर के प्रावधानों का अनुपालन अर्थात् सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर पॉलिसी तैयार करना तथा सीएसआर गतिविधियों पर निर्धारित राशि खर्च करना अप्रैल 2014 से लागू हुआ। फरवरी 2014 में, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 (इसके बाद नियम के रूप में संदर्भित) जारी किए। सीएसआर नियम सीपीएसई सहित सभी कंपनियों को 1 अप्रैल 2014 से लागू किए गए थे। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सीपीएसई के द्वारा सीएसआर के तहत, गतिविधियों के चयन व कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा समुचित सावधानी के पालन पर अधिसूचना जारी की (अगस्त 2016)। दिसम्बर 2018 में, डीपीई ने विषय-आधारित दृष्टिकोण पर निधि के उपयोग से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए। वर्ष 2019-20 के लिए फोकस हस्तक्षेप के लिए स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा पोषण को विषय के रूप में लिया गया। सामान्य विषय पर सीएसआर खर्च का लक्ष्य वार्षिक सीएसआर व्यय का 60 प्रतिशत था। दिशानिर्देशों में यह भी निर्देशित था कि नीति आयोग द्वारा चिन्हित किए गए आकांक्षात्मक जिलों को वरीयता दी जा सकती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान अधिनियम की अनुसूची VII में 'आपदा प्रबंधन' मद (XII) राहत और पुनर्निर्माण गतिविधियों को समाविष्ट करने (30 मई 2019) सहित और मद (IX) के अन्तर्गत पूर्व प्रावधानों को प्रतिस्थापन करने (11 अक्टूबर 2019) के लिए संशोधन जारी किए गए थे।

4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सीपीएसई की सीएसआर गतिविधियों पर अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 के प्रावधानों तथा डीपीई दिशानिर्देशों का सीपीएसई द्वारा अनुपालन किया गया था। लेखापरीक्षा में सामान्य तौर पर सीएसआर समिति के गठन सीएसआर नीति के निर्माण व अनुपालन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर किया जाने वाला व्यय,

सीएसआर गतिविधियों के तहत गतिविधियों/परियोजनाओं के चयन को प्राथमिकता देते समय स्थानीय लोगो की जरूरतों को ध्यान में रखना, सीएसआर गतिविधियों के चयन तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा समुचित सावधानी बरतना तथा सामान्य विषय पर सीएसआर व्यय को वहन करने के लिए उचित ध्यान दिए जाने से संबंधित क्षेत्रों को शामिल किया गया।

4.3 लेखापरीक्षा दायरा तथा कवरेज

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 95 सीपीएसई द्वारा की गयी सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा की। चयनित 95 सीपीएसई में 10 महारत्न, 11 नवरत्न, 47 मिनीरत्न और 27 अन्य कंपनियाँ शामिल थीं (अनुलग्नक XXVI)। लेखापरीक्षा ने 154 सीपीएसई में से 95 सीपीएसई का चयन किया जिन्होंने 2018-19 के लिए लाभ अर्जित किया जैसाकि डीपीई की सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया, जिसका विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1: सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा के लिए सीपीएसई का चयन

सीपीएसई का निवल लाभ	सीपीएसई की संख्या	चयन की गयी सीपीएसई की संख्या	चयन की गयी सीपीएसई का प्रतिशत	समीक्षित सीपीएसई की संख्या	समीक्षित सीपीएसई का प्रतिशत
₹ 100 करोड़ से अधिक	78	78	100	74	95
₹ 50 - ₹ 100 करोड़	23	12	50	10	43
₹ 10 - ₹ 50 करोड़	40	10	25	09	23
₹ 10 - ₹ 5 करोड़	13	02	10	02	15

कुल	154*	102*		95*	
-----	------	------	--	-----	--

* 154 तथा 102 सीपीएसई की सूची अनुलग्नक XXVII में दी गई है। प्रतिशतता नमूने के आधार पर चयनित 102 सीपीएसई में से 14 सीपीएसई ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के तहत निकाले गए निवल लाभ के आधार पर सीएसआर व्यय करने के मानदंडों को पूरा नहीं किया। इनमें से सात सीपीएसई (ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, एचएमटी वाचट्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड, हिंदूस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा प्राइज पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड) का चयन नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने सीएसआर गतिविधियों पर व्यय नहीं किया था। धारा 198 के तहत नकारात्मक निवल लाभ के बावजूद सात सीपीएसई (स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स एंड केमिक्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड, इस्टर्न कॉल फिल्ड्स लिमिटेड, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड तथा वेस्टर्न कॉल फिल्ड्स लिमिटेड) ने सीएसआर गतिविधियों पर व्यय किया और इसलिए उनका चयन किया गया था।

4.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार लेखापरीक्षा विश्लेषण किया गया था:

- कंपनी अधिनियम 2013 (31 मार्च 2020 तक संशोधित) की धारा 135 और अनुसूची VII में दिए गए प्रावधान,
- कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 (31 मार्च 2020 तक संशोधित) के प्रावधान
- 1 अगस्त 2016 से जारी सीएसआर पर डीपीई के दिशानिर्देश।

4.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सीएसआर समिति के गठन, नीति के प्रतिपादन व अनुपालन, सीएसआर गतिविधियों की योजना व कार्यान्वयन, तथा सीपीएसई द्वारा निगरानी और रिपोर्टिंग के संबंध में अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं:

4.5.1 योजना बनाना:

4.5.1.1 सीएसआर समिति का गठन

अधिनियम की धारा 135(1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसका तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निवल धन ₹ 500 करोड़ या इससे अधिक हो, या ₹ 1000 करोड़ या इससे अधिक की कुल बिक्री हो, या ₹ 5 करोड़ या इससे अधिक का निवल लाभ हो, तीन या इससे अधिक निदेशक वाले बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन करेगी, जिनमें से कम से कम एक निदेशक एक स्वतंत्र निदेशक होगा। इसके अलावा, सीएसआर नियम, 2014 के नियम 5 (1) (i) के अनुसार, धारा 135 (1) के तहत कवर की गई एक अनलिस्टेड सार्वजनिक कंपनी को अधिनियम की धारा 149 (4) के अनुसरण में एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है और इसमें ऐसे निदेशक के बिना इसकी सीएसआर समिति होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित सभी 95 सीपीएसई ने अधिनियम के तहत आवश्यक सीएसआर समिति का गठन किया, सिवाय एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन (एनएमडीसीएफ) को छोड़कर जिसने धारा 8 कंपनी होने के नाते सीएसआर समिति नहीं बनाई। हालांकि, दिनांक 12 जनवरी 2016 के एमसीए एफएक्यू के माध्यम से धारा 8 कंपनियों को कोई छूट नहीं है। कंपनी का उत्तर प्रतीक्षित था।

सभी सीपीएसई के पास अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार समिति में न्यूनतम तीन निदेशक थे, सिवाय कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) को छोड़कर, जिनमें केवल दो निदेशक थे, कंपनी ने बताया कि सरकार द्वारा 1 फरवरी 2020 को कार्यकाल पूरा होने के बाद स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई थी, जो कंपनी के 100 प्रतिशत शेयरों के मालिक हैं।

सभी सूचीबद्ध सीपीएसई में अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक थे।

4.5.1.2 सीएसआर नीति तैयार करना

4.5.1.2.1 सीपीएसई द्वारा नीति का प्रतिपादन और अनुमोदन

अधिनियम की धारा 135 (3) में अपेक्षित है कि सीएसआर समिति कंपनी के लिए एक सीएसआर नीति तैयार करेगी और बोर्ड को सिफारिश करेगी, जो समिति की सिफारिशों को

ध्यान में रखते हुए धारा 135 (4) के अनुसार इसे अनुमोदित करेगा। सभी सीपीएसई ने सीएसआर नीति बनाई थी और संबंधित बोर्ड ने इसे मंजूरी दी थी।

4.5.1.2.2 तैयार की गई नीतियों में पाया गया विचलन

एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एआईईएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की सीएसआर नीतियां उन गतिविधियों के क्षेत्रों को इंगित करती हैं जिनमें इन कंपनियों द्वारा सीएसआर परियोजनाएं शुरू की जानी हैं। अधिनियम की धारा 135 (4) (बी) में बोर्ड को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कंपनी की सीएसआर नीति में शामिल गतिविधियों को कंपनी द्वारा शुरू किया जाता है। तथापि, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सीएसआर नीति के प्रावधानों ने सीएसआर समिति को सीएसआर नीति में दर्शाई गई गतिविधियों/क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में किसी भी परियोजना/कार्यक्रम/ गतिविधियों को अनुमोदित करने की अनुमति दी। यह प्रावधान अधिनियम की धारा 135 (4) (बी) के अनुरूप नहीं था जिसने केवल बोर्ड को सीएसआर नीति में दर्शाए गए क्षेत्रों से बाहर की परियोजनाओं को अनुमोदित करने की छूट दी थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भविष्य के अनुपालन के लिए अभ्युक्ति को नोट किया।

4.5.2 वित्तीय घटक

4.5.2.1 निधि का आवंटन

अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार, बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी अपनी सीएसआर नीति के अनुपालन में तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का सालाना दो प्रतिशत खर्च करती है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित 95 सीपीएसई ने अधिनियम की धारा 198 के अनुसार गणना किए गए औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत के अनुसार आवश्यक न्यूनतम ₹ 3,949.70 करोड़ के प्रति ₹ 4,298.13 करोड़ आवंटित किए। इस प्रकार, न्यूनतम आवश्यकता की तुलना में ₹ 348.43 करोड़ का अधिक आवंटन हुआ (अनुलग्नक XXVIII क)। उनतीस सीपीएसई द्वारा न्यूनतम दो प्रतिशत से अधिक आवंटित किया गया, अधिक आवंटन ₹ 351.95 करोड़ है और तीन सीपीएसई द्वारा दो प्रतिशत से कम आवंटित किया गया, आवंटन में कमी ₹ 3.53 करोड़ है। साठ सीपीएसई ने न्यूनतम

आवश्यक दो प्रतिशत सीएसआर निधि आवंटित की (अनुलग्नक XXVIII ख)। तीन सीपीएसई यथा एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एआईईएल), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) और फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स टावनकोर लिमिटेड (एफएसीटी) ने धारा 198 के तहत नकारात्मक निवल लाभ के कारण निधि का आवंटन नहीं किया लेकिन सीएसआर खर्च किया। लेखापरीक्षा में धारा 198 के तहत सीएसआर व्यय के अनुचित निर्धारण पर निम्नलिखित मामलों को देखा गया:

(क) धारा 198 के तहत निवल लाभ की गणना करते समय सीएसआर व्यय को वापस जोड़ना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 में निवल लाभ की गणना के तरीके को विस्तार से बताया गया है जिसे एक वर्ष के लिए सीएसआर व्यय निर्धारित करने के लिए अपनाया जाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जबकि धारा में विशेष रूप से उन खर्चों और आय का उल्लेख किया गया है जिन्हें कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है, इसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय पिछले तीन वर्षों में किए गए और पहले से ही कटौती किए गए सीएसआर व्यय, को निवल लाभ से कटौती की अनुमति दी जाती है अथवा नहीं। यदि इसे कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसे पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए निवल लाभ की गणना करते समय वापस जोड़ना होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीपीएसई, धारा 198 के तहत निवल लाभ की गणना करते समय सीएसआर व्यय के संबंध में विभिन्न पद्धतियों का पालन कर रहे हैं। 95 सीपीएसई में से 26 सीपीएसई के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार नौ सीपीएसई ने निवल लाभ की गणना करते समय सीएसआर व्यय को वापस जोड़ दिया है जिसके परिणामस्वरूप सीएसआर व्यय का आवंटन ₹ 11.95 करोड़ अधिक हो गया है जबकि, 17 सीपीएसई के संबंध में सीएसआर व्यय का आवंटन ₹ 23.47 करोड़ तक कम हो गया, जिन्होंने सीएसआर व्यय को वापस नहीं जोड़ा है (अनुलग्नक XXIX)। अप्रैल 2020 में आईसीएआई की सीएसआर समिति द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया था कि सीएसआर खर्च की कटौती के बाद निवल लाभ की गणना की जानी है।

सिफारिश 1

सीएसआर आवंटन की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा सीपीएसई को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अन्तर्गत निवल लाभ की गणना के लिए एक समान पद्धति के पालन करने हेतु स्पष्टीकरण जारी कर सकती है।

(ख) आय की तुलना में अधिक व्यय के समायोजन से संबंधित धारा 198 (4) (1) में दिनांक 12 सितंबर 2018 के संशोधन को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड ने 2014 से पहले हुई संचित हानियों को समायोजित किया। इसके परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा ₹ 28.46 करोड़ का सीएसआर व्यय का आवंटन नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-20 के दौरान निवल लाभ की गणना करते समय 01 अप्रैल 2014 से पहले हुई हानियों का समायोजन धारा 135 (5) के प्रावधानों के उल्लंघन में था जिसमें विशेष रूप से तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान है। कंपनी ने वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान निवल लाभ अर्जित किया है जिस पर औसत निवल लाभ की गणना करते समय विचार किया जाना चाहिए था। कंपनी ने बताया कि धारा 198 (4) (1) में दिनांक 12 सितंबर 2018 के संशोधन ने वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय आवंटित नहीं करने में इसे सक्षम बनाया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 198 (4)(1) में दिनांक 12 सितम्बर 2018 के संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। कंपनी ने 2014 से पहले के संचित घाटे को समायोजित किया है जबकि अधिनियम 2013 में अधिनियमित किया गया था। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली ने 1 जुलाई, 2019 को पारित अपने फैसले में भी इसे स्पष्ट किया है।

4.5.2.2 निधियों का उपयोग

अधिनियम की धारा 135 (5) में बताया गया है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करे। डीपीई ने यह भी सलाह दी (अगस्त 2016) कि सीपीएसई द्वारा वर्ष के लिए आवंटित सीएसआर निधियों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 3,949.70 करोड़ की निर्धारित दो प्रतिशत राशि और ₹ 4,298.13 करोड़ के आवंटन के प्रति 95 सीपीएसई ने ₹ 5,033.96 करोड़ का सीएसआर व्यय किया। इस प्रकार, सीपीएसई ने वर्ष के दौरान निर्धारित न्यूनतम दो प्रतिशत की तुलना में ₹ 1,084.26 करोड़ अतिरिक्त खर्च किए। 67 सीपीएसई ने दो प्रतिशत न्यूनतम आवश्यकता से ₹ 1,174.38 करोड़ अधिक खर्च किए, जिनमें से चार सीपीएसई जैसे कोल इंडिया लिमिटेड (₹ 163.24 करोड़), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 146.59 करोड़), पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 136.29 करोड़) और रूरल इलेक्ट्रिकेशन कंपनी लिमिटेड (₹ 101.71 करोड़) ने अतिरिक्त खर्च में ₹ 547.83 करोड़ का अंशदान दिया (अनुलग्नक XXVIII क)।

- वित्तीय वर्ष के दौरान 10⁷⁰ सीपीएसई ने निर्धारित न्यूनतम दो प्रतिशत सीएसआर निधियां (₹ 557.45 करोड़) खर्च कीं।
- 18⁷¹ सीपीएसई द्वारा ₹ 90.13 करोड़ की कमी बताई गई थी जो 2.4 से 100 प्रतिशत की सीमा में थी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड ने ₹ 1.17 करोड़ (100 प्रतिशत की कमी) की आवंटित राशि खर्च नहीं की। कंपनी ने उत्तर दिया कि सीएसआर खर्च में कमी कोविड 19 लॉकडाउन के कारण हुई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लॉकडाउन वर्ष 2019-20 के अंत में ही लगाया गया था जिसके द्वारा पूरे वर्ष के लिए सीएसआर व्यय पर प्रभाव नहीं डाला जाना चाहिए था।

⁷⁰ बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड, एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड वारोड़ा ट्रांसमिशन लिमिटेड और पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड

⁷¹ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कामाराजर पोर्ट लिमिटेड, एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल गैस लिमिटेड, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड एडसिल (इंडिया) लिमिटेड

4.5.2.3 क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

लेखापरीक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में 95 सीपीएसई कवर किए गए। सीएसआर पर सबसे अधिक खर्च पेट्रोलियम क्षेत्र (12 सीपीएसई, ₹ 2,110.28 करोड़) द्वारा किया गया था, इसके बाद विद्युत क्षेत्र (21 सीपीएसई, ₹ 1,345.28 करोड़) और खनन क्षेत्र (18 सीपीएसई, ₹ 956.86 करोड़) थे। सबसे कम सीएसआर खर्च उर्वरक क्षेत्र (3 सीपीएसई, ₹ 9.19 करोड़) द्वारा किया गया था। क्षेत्रवार सीएसआर व्यय तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2 (क्षेत्रवार सीएसआर व्यय)

क्र.सं.	क्षेत्र	सीपीएसई की संख्या	वास्तविक व्यय (आगे ले जाने सहित) (₹ करोड़ में)
1	विमानन	04	128.74
2	खनन	18	956.86
3	रक्षा	08	175.25
4	उर्वरक	03	9.19
5	पेट्रोलियम	12	2110.28
6	विद्युत/ट्रांसमिशन	21	1345.28
7	रेलवे	09	111.10
8	जहाजरानी	02	23.40
9	अन्य	18	173.86
कुल		95	5033.96


पेट्रोलियम, विमानन, खनन, रक्षा, जहाजरानी, विद्युत और अन्य मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आवश्यकता से दो प्रतिशत अधिक खर्च हुए, जो ₹ 347.02 करोड़ के साथ सबसे अधिक खनन क्षेत्र में है। उर्वरक और रेलवे क्षेत्रों में कमी देखी गई; जो ₹ 14.23 करोड़ के साथ रेलवे क्षेत्र सीपीएसई में अधिकतम थी (अनुलग्नक XXX)।

4.5.2.4 उच्चतम व्यय करने वाले सीपीएसई

2019-20 में 95 सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर कुल खर्च ₹ 5,033.96 करोड़ था (अनुलग्नक XXVIII क)। शीर्ष खर्च करने वाले ओएनजीसी ने ₹ 606.97 करोड़ का व्यय किया, जो कुल सीएसआर व्यय का 12.06 प्रतिशत था, इसके बाद इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने ₹ 543.38 करोड़, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ₹ 346.21 करोड़, बीपीसीएल ने ₹ 345.57 करोड़ और एनटीपीसी ने ₹ 304.92 करोड़ खर्च किये। कुल 5,033.96 करोड़ के सीएसआर व्यय के प्रति, पांच सीपीएसई (पेट्रोलियम क्षेत्र में तीन और विद्युत क्षेत्र में दो सीपीएसई) में कुल ₹ 2,147.05 करोड़ के साथ 42.65 प्रतिशत बनता था।

10 महारत्न द्वारा सीएसआर व्यय ₹ 2,688.59 करोड़ (53.41 प्रतिशत) था, 11 नवरत्न द्वारा ₹ 967.92 करोड़ (19.23 प्रतिशत) था, 47 मिनीरत्न द्वारा ₹ 1,198.96 करोड़ (23.82 प्रतिशत) था और 27 अन्य सीपीएसई द्वारा ₹ 178.49 करोड़ (3.54 प्रतिशत) था। महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न ने कुल सीएसआर व्यय में ₹ 4,855.47 करोड़ (96.46 प्रतिशत) का अंशदान दिया। इसलिए सीपीएसई की संख्या के लिहाज से 71.58 प्रतिशत सीपीएसई ने रत्न का दर्जा प्रदान करते हुए कुल सीएसआर व्यय का 96.46 प्रतिशत अंशदान दिया है जबकि 28.42 प्रतिशत अन्य सीपीएसई ने केवल 3.54 प्रतिशत सीएसआर व्यय में अंशदान दिया है (अनुलग्नक XXXI)।

चार्ट 4.1: सीपीएसई द्वारा सीएसआर पर व्यय




4.5.2.5 राज्यवार सीएसआर व्यय

सबसे ज्यादा सीएसआर व्यय ओडिशा में ₹ 702.06 करोड़ (13.94 प्रतिशत) हुआ था, इसके बाद असम में ₹ 358.08 करोड़ (7.11 प्रतिशत) और यूपी में ₹ 288.56 करोड़ (5.73 प्रतिशत) था। ओडिशा में अधिकतम सीएसआर व्यय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 205.97 करोड़) द्वारा किया गया था, इसके बाद महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (₹ 165.50 करोड़) द्वारा किया गया था। असम में अधिकतम सीएसआर व्यय ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 105.75 करोड़) द्वारा किया गया था, इसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड (₹ 96.68 करोड़) द्वारा किया गया था। इन तीनों राज्यों में कुल सीएसआर व्यय का 26.77 प्रतिशत बनता था। दमन और दीव (₹ 0.12 करोड़) में सीएसआर व्यय सबसे कम था और इसके बाद अंडमान एवं निकोबार (₹ 0.99 करोड़), पुडुचेरी (₹ 3.57 करोड़) और चंडीगढ़ (₹ 3.67 करोड़) थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 से तीसरे वर्ष में लगातार सीएसआर के माध्यम से उच्चतम निधियन प्राप्त करने के मामले में ओडिशा अक्वल रहा। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 387.86 करोड़ और ₹ 481.00 करोड़ खर्च किए गए। ओडिशा में ₹ 702.06 करोड़ का अंशदान देने वाले 37 सीपीएसई में से अकेले 9 तेल एवं गैस सीपीएसई ने वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 350.75 करोड़ यानी लगभग 50 प्रतिशत का अंशदान दिया। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अधिकतम सीएसआर निधियन प्राप्त करने में यूपी और असम भी शीर्ष तीन राज्यों में शामिल थे। दमन और दिअु, अंडमान एवं निकोबार, चंडीगढ़, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम उन राज्यों में शामिल थे, जिन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान सबसे कम ध्यान दिया गया।

जहां तक किसी राज्य में व्यय की मात्रा का संबंध है, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न राज्यों में 112 अपेक्षाकृत कम विकसित जिलों (आकांक्षी जिलों) की पहचान छह विभिन्न क्षेत्रों में 49 प्रमुख निष्पादन संकेतकों पर विचार करके उनके सामाजिक आर्थिक संकेतक में सुधार करने के लिए की गई थी। नीति आयोग इन जिलों की पहचान प्रक्रिया में शामिल था। जिन राज्यों में सर्वाधिक जिले थे, वे बिहार (13 जिले), झारखंड (19 जिले) और छत्तीसगढ़ (10 जिले) थे। हालांकि, ओडिशा (10 जिलों) पर पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिकतम ध्यान दिया गया था। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश और असम पर अधिकतम ध्यान दिया गया, जिसमें क्रमशः आठ और सात जिले थे।

चार्ट 4.2: राज्यवार खर्च किया गया सीएसआर व्यय



राज्यों (पूर्वोत्तर के अलावा) में गोवा में सबसे कम व्यय (₹ 6.89 करोड़) किया गया जो कुल सीएसआर व्यय का 0.14 प्रतिशत था। पूर्वोत्तर राज्यों (आठ राज्यों) के संबंध में 2019-20 के दौरान ₹ 452.26 करोड़ खर्च किए गए। पूर्वोत्तर राज्यों में असम को अधिकतम ₹ 358.08 करोड़ का सीएसआर व्यय मिला और नागालैंड को सबसे कम ₹ 3.72 करोड़ का व्यय मिला।

4.5.2.6 गैर पात्रता प्राप्त सरकारी कोष में योगदान

चार सीपीएसई, यथा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने सीएसआर व्यय के तहत निम्नलिखित निधियों में अंशदान को शामिल किया, हालांकि एमसीए द्वारा जारी किए गए (अप्रैल 2020) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब के अनुसार इन निधियों में अंशदान सीएसआर व्यय के लिए पात्र नहीं थे। गैर पात्र सरकारी निधियों में सीपीएसई द्वारा किया गया योगदान तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका 4.3: गैर-पात्र सरकारी निधियों में सीपीएसई द्वारा किया गया अंशदान

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई	अंशदान	राशि
अंतरिक्ष कार्पोरेशन लिमिटेड	केरल मुख्यमंत्री राहत कोष	0.50
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	मुख्यमंत्री राहत कोष	0.50
एनएचपीसी लि.	मुख्यमंत्री राहत कोष	0.23
एसजेवीएन लि.	मुख्यमंत्री राहत कोष (कोवीड-19 के लिए नहीं)	1.00

एसजेवीएन लि. और अंतरिक्ष कार्पोरेशन लिमिटेड ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान दिनांक 18 जून 2014 के सामान्य परिपत्र के प्रावधानों के आधार पर किया गया था जिसमें बताया गया था कि 'अनुसूची VII में प्रविष्टियों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए ताकि उक्त अनुसूची में गणना किये गये विषयों के सार को शामिल किया जा सके। अधिनियम की संशोधित अनुसूची VII में सूचीबद्ध मर्दें व्यापकता पर आधारित हैं और इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को कवर करना है।' इसमें यह भी बताया गया कि 10 अप्रैल, 2020 को एफएक्यू जारी करने से पहले विषयगत अंशदान दिया गया था जिसमें कहा गया था कि सीएम राहत निधि में अंशदान अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल नहीं है।

कंपनी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विषयगत कोष में अंशदान अनुसूची VII का हिस्सा नहीं है जिसमें विशेष रूप से अनुसूची VII के तहत सीएसआर व्यय के रूप में पात्र निधियों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, यद्यपि अंशदान विषयगत निधि में किया जा सकता है, इसे सीएसआर व्यय के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप सीएसआर व्यय को अधिक बता दिया जाता है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपात्र गतिविधि पर सीएसआर व्यय के समान होता है।

एनएचपीसी लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मामले में उत्तर प्रतीक्षित था।

4.5.2.7 प्रशासनिक उपरिव्यय

सीएसआर नियम 4 (6) के अनुसार, प्रशासनिक उपरि व्यय वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समग्र सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

- तीन सीपीएसई यथा एनएमडीसी फाउंडेशन (13.23 प्रतिशत), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (10.08 प्रतिशत) और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (6 प्रतिशत) के संबंध में उपरि व्यय पांच प्रतिशत की सीमा से अधिक हो गया।
- 26 सीपीएसई ने अपने प्रशासनिक उपरिव्यय में ₹ 85.64 करोड़ की राशि के वेतन को शामिल किया और 69 सीपीएसई ने अपने प्रशासनिक उपरिव्यय में वेतन को शामिल नहीं किया।

जहां तक प्रशासनिक उपरिव्यय में वेतन को शामिल करने का संबंध है, यह देखा गया कि एमसीए द्वारा 18 जून, 2014 को जारी स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि कंपनियों द्वारा प्रदत्त वेतन को सीएसआर व्यय में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, स्पष्टीकरण को दिनांक 12 सितंबर 2014 के संशोधन में हटा दिया गया था जिससे कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली 2014 के नियम 4 (6) के तहत पांच प्रतिशत तक प्रशासनिक उपरिव्यय सहित खर्च उठाने की अनुमति कंपनियों को मिली थी। यह देखा गया कि जहां कुछ सीपीएसई (जैसे एचपीसीएल, ओएनजीसी) प्रशासनिक उपरिव्यय में सीएसआर कार्मिकों का वेतन शामिल कर रहे हैं, वहीं कुछ (बीपीसीएल की तरह) ऐसा नहीं कर रहे हैं। एचपीसीएल ने 'सीएसआर सेल पर एफएक्यू' के माध्यम से एमसीए द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण का हवाला दिया और ओएनजीसी ने कहा कि आईसीएआई की सीएसआर समिति ने स्पष्ट किया कि नियम 4 (6) के अनुसार वेतन को पांच प्रतिशत की समग्र सीमा के अंदर माना जाएगा। हालांकि एमसीए स्पष्टीकरण 'सीएसआर सेल पर एफएक्यू' पर उपलब्ध है, लेकिन सीपीएसई इस मामले में विभिन्न प्रथाओं का पालन कर रहे हैं।

सिफारिश 2

कापॉरेट मामलों का मंत्रालय कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 में निर्धारित नियम 4(6) के अनुसार प्रशासनिक ओवर हैड्स में वेतन को शामिल करने के संबंध में एक समान प्रणाली का पालन करने के लिए सीपीएससी को निर्देश जारी कर सकता है।

4.5.2.8 सामान्य विषय पर डीपीई दिशानिर्देशों का लागू करना

डीपीई ने, प्रत्येक वर्ष, विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाकर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति केंद्रित तरीके से सीएसआर निधि के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए (दिसंबर 2018)। दिशा-निर्देशों में सामान्य विषय पर वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60 प्रतिशत परिकल्पित किया गया था और आकांक्षी जिलों में व्यय करने के लिए वरीयता दी जानी थी। डीपीई ने दिनांक 29 मई 2019 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से वर्ष 2019-20 के लिए सामान्य विषय, 'स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण' को सूचित किया।

जहां 53 सीपीएसई सामान्य विषय पर 60 प्रतिशत सीएसआर खर्च का निर्धारित लक्ष्य हासिल कर सके, वहीं 29 सीपीएसई ने लक्ष्य से कम सीएसआर व्यय किया और 8 सीपीएसई ने सामान्य विषय पर कोई खर्च नहीं किया। शेष पांच सीपीएसई के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। सीपीएसई ने वर्ष के दौरान सामान्य विषय पर ₹ 3,052.75 करोड़ खर्च किए (अनुलग्नक XXXII)।

जहां तक आकांक्षी जिलों में सामान्य विषय पर सीएसआर व्यय करते समय वरीयता का संबंध है, 85 सीपीएसई के संबंध में आंकड़े उपलब्ध थे, जिनमें से 34 सीपीएसई ने आकांक्षी जिलों में 25 प्रतिशत से कम खर्च किया, 19 सीपीएसई ने कोई राशि खर्च नहीं की और 32 सीपीएसई द्वारा किया गया व्यय आकांक्षी जिलों में 25 प्रतिशत से अधिक था। 10 सीपीएसई के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए।

4.5.3 परियोजना कार्यान्वयन**4.5.3.1 सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों का चयन**

बेस लाइन का सर्वेक्षण और निर्धारण करना: 95 सीपीएसई में से 50 सीपीएसई ने 8,264 परियोजनाओं के संबंध में सीएसआर परियोजना/गतिविधि की पहचान करने के लिए

बेसलाइन सर्वेक्षण और आवश्यकता निर्धारण अध्ययन किया। 37 सीपीएसई ने बेसलाइन सर्वेक्षण और आवश्यकता निर्धारण अध्ययन नहीं किया और 8 सीपीएसई ने आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए (अनुलग्नक XXXIII)।

4.5.3.2 सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका


कंपनी (सीएसआर) नियमावली, 2014 का नियम 4 विशेष रूप से उस तरीके से संबंधित है जिसमें धारा 135 (1) के तहत सीएसआर गतिविधि शुरू की जानी है। बोर्ड सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित अपनी सीएसआर गतिविधियों को, सीपीएसई द्वारा स्थापित कंपनी या पंजीकृत ट्रस्ट/समिति या अधिनियम की धारा 8 के तहत उसकी नियंत्रक, गौण या सहायक कंपनी या अन्यथा के माध्यम से शुरू करने का निर्णय ले सकता है। 80 सीपीएसई के लिए उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 12,914 सीएसआर परियोजनाओं (3,533 परियोजनाओं को सीधे/इन हाउस कार्यान्वित किया गया और 9,381 परियोजनाओं को सरकार/बाहरी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, सोसाइटी के माध्यम से निष्पादित किया गया) के कार्यान्वयन का तरीका इस प्रकार था:

- 5 सीपीएसई ने केवल इन-हाउस परियोजनाएं शुरू की।
- 17 सीपीएसई ने बाहरी एजेंसियों को सीएसआर परियोजनाएं आउटसोर्स कीं।
- 58 सीपीएसई ने इन-हाउस परियोजनाओं और बाहरी एजेंसियों को आउटसोर्स सीएसआर परियोजनाओं दोनों को शुरू किया था।
- 7 सीपीएसई ने कोई परियोजना शुरू नहीं की लेकिन निधियों में पूरी राशि का अंशदान दिया।

बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित 9,381 परियोजनाओं में से, सीपीएसई ने 1,258 परियोजनाओं के संबंध में निविदा का सहारा लिया था; 1,015 परियोजनाएं नामांकन के आधार पर शुरू की गई थीं और 7108 परियोजनाएं या तो सरकारी एजेंसियों/संस्थाओं, स्थानीय निकायों/समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से या गैर-सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन एजेंसियों आदि से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर शुरू की गई थीं। शेष 8 सीपीएसई ने जानकारी प्रस्तुत नहीं की (अनुलग्नक XXXIV)।

4.5.3.3 केंद्र बिंदु वाले क्षेत्र

चार्ट 4.3: केंद्र बिंदु क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय



जैसा कि चार्ट में बताया गया है, शिक्षा पर अधिकतम ध्यान (32.89 प्रतिशत) दिया गया। इस शीर्ष में 95 सीपीएसई द्वारा कुल व्यय ₹ 1,655.66 करोड़ था। अगला उच्चतम व्यय (88 सीपीएसई द्वारा ₹ 1,398.85 करोड़) स्वास्थ्य देखभाल पर 27.79 प्रतिशत था। सबसे कम ध्यान देने वाले क्षेत्र, अंशदान/निधियां थी जो अकादमिक संस्थाओं के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर को प्रदान की गई थी जिन्हें केंद्र सरकार (₹ 5.13 करोड़) द्वारा अनुमोदित किया गया है, स्लम एरिया (₹ 7.09 करोड़) के विकास के लिए किए गए उपाय और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं (₹ 11.30 करोड़) के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि थे।

अनुसूची VII के अनुसार के चार वस्तुगत शीर्षों अर्थात्, शिक्षा (₹ 1,655.66 करोड़) को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना (₹ 1,398.85 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 387.82 करोड़) और पर्यावरणीय स्थिरता विकास (₹ 423.47 करोड़) में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास (₹ 217.84 करोड़ और ₹ 44.28 करोड़) के मामले में शीर्ष खर्चकर्ता था और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता (क्रमशः ₹ 263.87 करोड़ और ₹ 104.10 करोड़) को बढ़ावा देने के मामले में शीर्ष खर्चकर्ता था। पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने ₹ 1.17 करोड़ का बजट आवंटित किया, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कोई राशि खर्च नहीं की।

4.5.3.4 स्थानीय क्षेत्र

अधिनियम की धारा 135 (5) में प्रावधान है कि सीपीएसई, सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि खर्च करने के लिए स्थानीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को वरीयता देगा जहां वह संचालित होता है। सीपीएसई उपस्थिति/संचालन के क्षेत्र को स्थानीय क्षेत्रों के रूप में मान रहे हैं। 95 सीपीएसई के संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार:

- 26 सीपीएसई ने अपनी सीएसआर नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया, 64 सीपीएसई ने अपनी सीएसआर नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित किया। इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, आरईसीएल लिमिटेड, रेलटेल कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड और पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड की परिचालन गतिविधियां सभी राज्यों में फैली हुई हैं। एनएमडीसीएफ ने स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित करने के बारे में जानकारी नहीं दी (अनुलग्नक XXXV क)।
- 38 सीपीएसई के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, गैर-परिचालन क्षेत्र में खर्च ₹ 623.89 करोड़ था। 6 सीपीएसई ने गैर-परिचालन क्षेत्र में सीएसआर निधि का 50 प्रतिशत से अधिक खर्च किया, जिनमें से तीन सीपीएसई ने गैर-परिचालन क्षेत्रों में 100 प्रतिशत खर्च किया। 16 सीपीएसई ने स्थानीय क्षेत्रों में 100 प्रतिशत खर्च किया। इस संबंध में 41 सीपीएसई के संबंध में आंकड़े नहीं बताए गए थे (अनुलग्नक XXXV ख)।

इस बारे में, 54 सीपीएसई के संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 6 सीपीएसई ने स्थानीय क्षेत्र को वरीयता देने के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया क्योंकि इन सीपीएसई ने स्थानीय क्षेत्रों में सीएसआर निधियों का 50 प्रतिशत से कम खर्च किया है।

4.5.4 कार्य ढाँचा की निगरानी

सीएसआर नियमावली 2014 के नियम 5 (2) के अनुसार, सीएसआर समिति, सीपीएसई द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र को स्थापित करेगी। डीपीई ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01 अगस्त 2016 के द्वारा सीपीएसई को सीएसआर की निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने के निर्देश दिए।

सीएसआर की निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के लिए संस्थागत तंत्र के संबंध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि 95 सीपीएसई में से 5 सीपीएसई ने वार्षिक निगरानी की; 25 सीपीएसई ने मासिक समीक्षा की, 23 सीपीएसई ने त्रैमासिक/द्विमासिक, 6 सीपीएसई ने छमाही, 10 सीपीएसई ने परियोजना की आवश्यकता के अनुसार नियमित/समवर्ती/बहु/लगातार बैठकें आयोजित कीं। शेष 26 सीपीएसई के लिए इस संबंध में विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं थे (अनुलग्नक XXXVI)।

4.5.5 रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

अधिनियम की धारा 134 (3) (ओ) के साथ पठित धारा 135 (2) के अनुसार, किसी कंपनी को अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल करनी होती है और इसे आधिकारिक वेबसाइट पर प्रस्तुत करना होता है। सीएसआर नियमावली 2014 के नियम 9 के अनुसार कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित का प्रकटीकरण करना होता है:

1. सीएसआर नीति के अवयव और इसका वेब लिंक, औसत निवल लाभ, सीएसआर समिति की संरचना, प्रशासनिक उपरिव्यय, निर्धारित राशि, अव्ययित राशि, अव्ययित राशि के कारण।
2. सीएसआर समिति द्वारा हस्ताक्षरित एक उत्तरदायित्व विवरण शामिल करना कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्य और नीति के अनुपालन में थी।

यह देखा गया था कि पांच सीपीएसई (सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम और उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड) ने कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली 2014 के नियम 9 के तहत यथा अपेक्षित वार्षिक रिपोर्ट में उत्तरदायित्व विवरण का उल्लेख नहीं किया।

4.6 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लगभग सभी चयनित सीपीएसई ने सीएसआर नीति तैयार की थी और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में सीएसआर समिति का गठन किया था। 95 सीपीएसई जिनकी समीक्षा की गई, में से 29 सीपीएसई ने सीएसआर

नीति के अनुसरण में तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के निर्धारित न्यूनतम दो प्रतिशत से अधिक सीएसआर निधि आबंटित करी तथा 60 सीपीएसई ने अपेक्षित न्यूनतम दो प्रतिशत आबंटित किया। जबकि तीन सीपीएसई ने दो प्रतिशत से कम आबंटित किया, तीन अन्य सीपीएसई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के तहत नकारात्मक शुद्ध लाभ के कारण धन आबंटित नहीं किया। निर्धारित दो प्रतिशत राशि के ₹ 3949.70 करोड़ के मुकाबले 95 सीपीएसई ने ₹ 4,298.13 करोड़ की सीएसआर निधि आबंटित की और ₹ 5033.96 करोड़ की राशि का व्यय किया। जबकि 67 सीपीएसई ने सीएसआर पर अपेक्षित दो प्रतिशत से अधिक खर्च किया, 10 सीपीएसई ने निर्धारित न्यूनतम व्यय किया तथा 18 सीपीएसई ने सीएसआर पर न्यूनतम आवश्यक व्यय से कम व्यय किया।

पेट्रोलियम, विमानन, खनन, रक्षा, जहाजरानी, विद्युत और अन्य मंत्रालयों के अधीन आने वाले क्षेत्रों में अपेक्षित दो प्रतिशत से अधिक व्यय हुआ, जिसमें खनन क्षेत्र का व्यय सबसे अधिक था। उर्वरक और रेलवे क्षेत्रों में कमी देखी गई थी। सीपीएसई के द्वारा किए गए सीएसआर व्यय में शिक्षा क्षेत्र की तरफ अधिकतम ध्यान दिया गया जिसके बाद स्वास्थ्य देख-भाल पर ध्यान दिया गया।

राज्यों में सीएसआर व्यय के संदर्भ में 2019-20 के दौरान सबसे अधिक सीएसआर व्यय ₹ 702.06 करोड़ के साथ ओडिशा राज्य में था। इसे 2017-18 के बाद से लगातार तीसरे साल सबसे ज्यादा सीएसआर फंडिंग मिली है। ₹ 702.06 करोड़ की यह राशि 37 सीपीएसई द्वारा प्रदान की गई जिसमें से नो तेल और गैस सीपीएसई ने अकेले ₹ 350.75 करोड़ का वर्ष के दौरान योगदान दिया। दमन और दीव, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, मणिपूर, नागालैंड और मिजोरम उन राज्यों में शामिल थे जिन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान सबसे कम ध्यान दिया गया।

95 सीपीएसई में से 29 सीपीएसई ने स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के सामान्य विषय पर 60 प्रतिशत के लक्ष्य से कम ही सीएसआर व्यय किया, 53 सीपीएसई ने निर्धारित लक्ष्य हासिल किया जबकि आठ सीपीएसई ने कोई व्यय नहीं किया। शेष पांच सीपीएसई के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इसी प्रकार, आकांक्षी जिलो में सामान्य विषयों पर सीएसआर व्यय के संबंध में 85 सीपीएसई के आंकड़े उपलब्ध थे, जिनमें से 34 सीपीएसई

ने आकांक्षी जिलो में 25 प्रतिशत से कम व्यय किया 32 सीपीएसई ने 25 प्रतिशत से अधिक व्यय किया और 19 सीपीएसई ने आकांक्षी जिलो में कोई व्यय नहीं किया।

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने बताया (अगस्त 2021) कि इस अध्याय पर देने के लिए उनकी कोई टिप्पणी नहीं है।